संख्या-3/2016/202/71-आयुष-2-2016-टी-27/2015

प्रेषक,

यतीन्द्र मोहन,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी, उ0प्र0
8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ : दिनॉक 29 फरवरी, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में बेहरकला जनपद सन्तकबीरनगर में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि0हो0/03/15/870, दिनॉक 19-01-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बेहरकला जनपद सन्तकबीरनगर में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा गठित आगणन रू0 44,36,000/- (रू0 चवालिस लाख छत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-34 के अन्तर्गत 24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 20,00,000/- (रू0 बीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
3- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
4- वित्त बजट-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 30-03-2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से निदेशक/प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
8- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन की जा रही है कि इस परियोजना पर आगामी वित्तीय स्वीकृति तभी प्रदान की जाएगी, जब इस धनराशि एवं पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-34 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-05-अस्पताल और औषधालय-0501-होम्योपैथी चिकित्सालय-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनॉक 30 मार्च, 2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- 3/2016/ 202(1)/71-आयुष-2016 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, सन्तकबीर नगर।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
4- प्रबन्ध निदेशक, समाज कल्याण विभाग, लखनऊ।
5- जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, सन्तकबीर नगर।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(श्याम प्रकाश नारायण)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।